

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धरा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
 सिवाना प्रिजा बलोतरा  
 (राजस्थान)

विषय -- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम करमावासी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 442 में मेरा/हमारे नाम शांति देवी पुत्र बाबुलाल

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम शांति देवी पत्नी बाबुलाल

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

(शांति देवी)  
 हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

शांति देवी के सम्मान खरीद पंजीयन दस्तावेज के अनुसार नाम शुद्ध किया जाना उचित है। शांति देवी पत्नी बाबुलाल शुद्ध किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

15/10/25

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

9/10/25 - 2025/585

आदेश

तहसीलदार समदडी  
तहसीलदार - समदडी  
 दिनांक 12/10/25

क्रमांक / ग.से.वि. / 1701

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम करमावासी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 442 में शांति देवी पुत्र बाबुलाल के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

शांति देवी पत्नी बाबुलाल

की जारी होने पर जहाँ में अगल दरमाद की कार्यवाही की जावे ।



करने की स्वीकृति प्रदान  
 उपखण्ड अधिकारी सिवाना  
 सिवाना, बालोतरा